सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः– रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 11/2023
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 53 आरटीए

1. बूटा सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. मलकीत कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।

–वादी

बनाम्

1. इकबाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. जसपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. लक्ष्मण सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. जगसीर सिंह पुत्र मेला सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. जसवीर कौर पत्नी मेला सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. तेज कौर पत्नी सन्धूरा सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
7. मेला सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. रमनदीप कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
9. सुमन पत्नी पंकज कुमार जाति जाट सा. 10 बीजीपी ढाबा तह संगरिया जिला हनुमानगढ।
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री नक्षत्र सिंह सिद्धु अधिवक्ता – वादीगण

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। वादीगण के नाम चक 1 बीजीपी खाता सं. 27/18 खाता जगसीर सिंह वगैरा ज.सं. 2071–74 व इसी चक के खाता सं. 72/53 खाता इकबाल सिंह वगैरा ज.सं. 2071–74 में सांझा खातों में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के उक्त खातों की जमाबन्दीयां संलग्न वादपत्र है। दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादीगण ने सांझा खाता के अन्य सह हिस्सेदारान के साथ अच्छी में से अच्छी तथा मंदी में से मंदी के मुताबिक घरू विभाजन कर रखा है। मुताबिक घरू विभाजन प्राप्त आराजी का वादीगण निम्नानुसार खाता अलग अलग कायम करवाने के अधिकारी एंव दावेदार है। उक्त आराजी मौका पर वादीगण के कब्जा काश्त में है:–

ए. वादीसं. 1 बूटा सिंह पुत्र जगदेव सिंह का हिस्साः–
चक 11 बीजीपी
190/152 28 9/0.003 (पूर्व से पश्चिम , दक्षिणी तहरफ), 10/0.025 (पूर्व से पश्चिम, दक्षिणी तरफ), 12/.253, 13/.253 कुल 0.534है0

बी. वादीया सं. 2 मलकीत कौर पत्नी जगदेव सिंह का हिस्साः–
चक 11 बीजीपी
192/155 39 18/.253 कुल .253 है0

वादीगण दावा की दफा 3 के अनुसार मौका पर काबिज है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में उक्त खाता सांझा दर्ज होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से निदेदन

किया कि वे दावा की दफा 2 में दर्ज आराजी का खाता दावा की दफा 3 के अनुसार अलग कायम करवा देवे तो इस पर प्रतिवादीगण स्पष्ट इंकार हो गए। यही वाद का कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण तलबी साधारण सम्मन से करवाई गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 9 उपस्थित नहीं होने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से जवाब स्टेट प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी बूटा सिंह की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 सहकाश्तकार है। इनकी तलबी साधारण सम्मन से करवाये जाने पर भी उपस्थित नही हुये है। इसलिए वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 चक 11 बीजीपी के अवलोकन से यह साबित है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी में सह–खातेदार है। प्रश्नगत आराजी पर वादिया अर्सा दराज पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है वर्तमान में भी कब्जाकाश्त है। वादीगण खाता विभाजन की अधिकारी है। वाद की दफा 3 के मुताबिक खाता अलग कायम किया जावे। अतः वादीगण खाता विभाजन के अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 तामील के बावजूद उपस्थित नही आने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वादपत्र निम्नानुसार डिग्री किया जाता है:–

ए. वादीसं. 1 बूटा सिंह पुत्र जगदेव सिंह का हिस्साः–
चक 11 बीजीपी
190/152 28 9/0.003 (पूर्व से पश्चिम , दक्षिणी तहरफ), 10/0.025 (पूर्व से पश्चिम, दक्षिणी तरफ), 12/.253, 13/.253 कुल 0.534है0

बी. वादीया सं. 2 मलकीत कौर पत्नी जगदेव सिंह का हिस्साः–
चक 11 बीजीपी
192/155 39 18/.253 कुल .253 है0

उक्तानुसार भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31-5-23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

31/5/23
(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः– 11 / 2023

1. बूटा सिंह पुत्र जगदेव सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. मलकीत कौर पत्नी जगदेव सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।

–वादीगण

बनाम्

1. इकबाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. जसपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. लक्ष्मण सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. जगसीर सिंह पुत्र मेला सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. जसवीर कौर पत्नी मेला सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. तेज कौर पत्नी सन्धूरा सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
7. मेला सिंह पुत्र अजमेर सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
8. रमनदीप कौर पत्नी जगसीर सिंह जाति जटसिख सा. भगतपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ।
9. सुमन पत्नी पंकज कुमार जाति जाट सा. 10 बीजीपी ढाबा तह संगरिया जिला हनुमानगढ।
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धु वादीगण मिन जामिन मुदई वकील प्रतिवादीगण ..... मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एवं वाद वादीगण निम्नानुसार अंतिम डिग्री किया जाता हैः–

ए. वादीसं. 1 बूटा सिंह पुत्र जगदेव सिंह का हिस्साः–
चक 11 बीजीपी
190 / 152 28 9 / 0.003 (पूर्व से पश्चिम , दक्षिणी तहरफ), 10 / 0.025 (पूर्व से पश्चिम, दक्षिणी तरफ), 12 / .253, 13 / .253 कुल 0.534है0

बी. वादीया सं. 2 मलकीत कौर पत्नी जगदेव सिंह का हिस्साः–
चक 11 बीजीपी
192 / 155 39 18 / .253 कुल .253 है0

भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। यदि प्रश्नगत कृषि भूमि बैंक में रहन है तो ऋण चुकता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही अमल दरामद किया जावे।
यह डिक्री आज दिनांक 31-5-23 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई।

31/5/23
(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया